हिन्दी बुलेटिन

(अर्द्ध वार्षिक बुलेटिन, अंक–21, जनवरी–जून, 2025)

संकलन एवं सम्पादन

डॉ. वेद प्रकाश
सहायक निदेशक
प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ)

हिन्दी प्रकोष्ठ
राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान
(नीति आयोग, भारत सरकार)
सेक्टर ए–7, संस्थागत क्षेत्र, नरेला, दिल्ली–110040

महानिदेशक की कलम से

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान के महानिदेशक के रूप में मुझे यह कहने में हर्ष हो रहा है कि राजभाषा विभाग, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के राजभाषाई आदेशों का इस संस्थान में नियमित रूप से अनुपालन और राजभाषा हिन्दी का प्रचार–प्रसार करने का सफल प्रयास किया जा रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि इस संस्थान में राजभाषाई आदेशों के अनुपालन का सिलसिला औपचारिक रूप से वर्ष 1999 में संस्थान का संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति के निरीक्षण के बाद से शुरू हुआ। संस्थान में राजभाषाई आदेशों के अनुपालन करवाने के लिए संस्थान में औपचारिक रूप वर्ष 1999 में हिन्दी प्रकोष्ठ को गठित किया गया, जिसका प्रबन्धन वर्ष 1999 से ही संस्थान के संकाय सदस्य द्वारा किया जाता रहा है। संस्थान की हिन्दी प्रकोष्ठ का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में हिन्दी गतिविधियों के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में संस्थान के समस्त अनुसंधान एकांशों, प्रशिक्षण एकक, एवं अनुभागों में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में ही निष्पादित किया जाए।

संस्थान में **हिन्दी बुलेटिन, जनवरी–जून, 2025** के इस 21वें संस्करण के प्रकाशन के अवसर पर मैं हिन्दी में कार्य करने वाले संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूँ। संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह भी अनुरोध करता हूँ कि वह सभी संस्थान में अधिक से अधिक कार्य राजभाषा हिन्दी में ही करें जिससे कि संस्थान में हिन्दी के कार्यो को भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए राजभाषाई लक्ष्य को पूरा किया जाता रहे।

शुभकामनाओं के साथ।

सुरेन्द्र मेहरा
महा निदेशक

दिनांक : 13 अगस्त, 2025

हिन्दी बुलेटिन के 21वें संस्करण के सम्बन्ध में

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान में राजभाषा (हिन्दी) के सफल कार्यान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के निर्धारित एवं नियमित कार्य जैसे–संस्थान में हिन्दी की प्रगति से सम्बन्धित विभिन्न रिपोर्टें तैयार करना, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करना, हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, हिन्दी दिवस का आयोजन करना, तथा संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवश्यक राजभाषाई हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, आदि–आदि, महत्वपूर्ण हैं। संस्थान में हिन्दी प्रकोष्ठ में अकादमिक गतिविधि के रूप में हिन्दी बुलेटिन तैयार करने की परम्परा की शुरूआत वर्ष 2015 में की गयी।

यह उल्लेखनीय होगा कि संस्थान में राजभाषा विभाग, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के राजभाषाई आदेशों का अनुपालन सुनिशित करने एंव राजभाषा हिन्दी का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में गठित की गयी हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा राजभाषा (हिन्दी) के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी नियमित एवं पूर्णकालिक राजभाषाई गतिविधियों को संस्थान के संकाय द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा रहा है। संस्थान में नियमित हिन्दी पदों के सृजन करने का प्रयास किया जा रहा है।

हिन्दी बुलेटिन के निर्धारित विषयों को संस्थान द्वारा वर्ष 2020 में तय किया गया था जिनका अनुपालन करते हुए इस बुलेटिन में संस्थान के परिचय के अलावा संस्थान में जनवरी–जून, 2025 की अवधि के दौरान हिन्दी प्रकोष्ठ के चुनिन्दा निर्धारित एव नियमित कार्यों के अलावा संस्थान में राजभाषा (हिन्दी) के कार्यों की प्रगति के रूप में संस्थान में राजभाषा (हिन्दी) में किए गए कार्यों का ब्यौरा तथा संस्थान के हिन्दी बुलेटिन का प्रकाशन, राजभाषा नियम 8 (4) के अंतर्गत आदेश, राजभाषा नियमों के अनुपालन हेतु जाँच बिन्दुओं का अद्यतन, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन, राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में सहभागिता, नीति आयोग द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशाला/चर्चा–परिचर्चा कार्यक्रमों में सहभागिता, संस्थान की राजभाषाई गतिविधियों का निरीक्षण, एवं संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक आदि राजभाषाई गतिविधियों की जानकारी को हिन्दी बुलेटिन के इस 21वें अंक में प्रकाशन के लिए सम्मिलित किया गया है।

डॉ वेद प्रकाश
सहायक निदेशक
एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ)

दिनांक : 13 अगस्त, 2025

संस्थान का परिचय

संस्थान की स्थापना वर्ष 1962 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च के नाम से की गई थी। वर्ष 1999 में संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण से पूर्व संस्थान के प्रचलित नाम इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च का हिन्दी अनुवाद जनसाधन अनुसंधान संस्थान किया गया। वर्ष 2014 में 9 जून, 2014 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (राश्रअअविस) रख दिया गया।

संस्थान की सजीवता को दर्शाने वाला संस्थान के प्रवेश द्वार का फोटो

संस्थान का मुख्य रूप से वित्त पोषण नीति आयोग से प्राप्त सहायता अनुदान से होता है तथा विभिन्न मंत्रालयों एवं बहुपक्षीय संगठनों से प्राप्त अनुसंधान परियोजनाओं से अपने स्वयं के राजस्व द्वारा अनुपूरक किया जाता है, जो कि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित शिक्षा और प्रशिक्षण गतिविधियों से प्राप्त होता है।

संस्थान का प्रशासनिक, प्रबन्धन व कम्प्यूटर ब्लॉक (बाहर से)

संस्थान के नए महा निदेशक

श्री सुरेन्द्र मेहरा, नीति आयोग में पी डी (ग्रामीण विकास और पंचायती राज), सलाहकार (सीसी और पर्यावरण) और विभागाध्यक्ष (एआईएम) संयुक्त सचिव प्रशासन (ए एंड एफ)–डीएमओ के पद पर कार्यरत, ने दिनांक 07 फरवरी, 2025 को संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

जनवरी, 2025 से जून, 2025 की अवधि के दौरान संस्थान में राजभाषा (हिन्दी) के कार्यों की प्रगति

संस्थान में राजभाषा (हिन्दी) में किए गए कार्यों का ब्यौरा–एक समीक्षा

राजभाषा नियमों के अनुसार भारतगण राज्य के राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यों का भाषा के आधार पर विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है–

'क' क्षेत्र– हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, और अण्डमान निकोबार।

'ख' क्षेत्र– पंजाब, चण्डीगढ़, महाराष्ट्र, और गुजरात।

'ग' क्षेत्र– उपरोक्त 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में वर्णित राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यों के अलावा शेष सभी।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत इस बुलेटिन की अवधि जनवरी से जून, 2025 के दौरान कुल 260 कागजात राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत जारी किए गए जो सभी द्विभाषी रूप में जारी किए गए।

राजभाषा नियम–5 के अनुसार जनवरी से जून, 2025 की सूचनाओं वाले बुलेटिन की अवधि के दौरान संस्थान में हिन्दी में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने की स्थिति–

'क' क्षेत्र से जनवरी से जून, 2025 की अवधि के दौरान संस्थान को अंग्रेजी में केवल 13 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 7 6 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया तथा 6 पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था।

'ख' क्षेत्र से इस बुलेटिन की अवधि के दौरान संस्थान को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

संस्थान से भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा

'क' क्षेत्र को — जनवरी से जून, 2025 की अवधि के दौरान संस्थान से 'क' क्षेत्र को कुल 70 पत्र भेजे गए जो सभी हिन्दी में भेजे गए जिससे इस छमाही में हिन्दी/ द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत 100 हो गया, जिससे संस्थान को राजभाषा विभाग के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त हो सकी।

'ख' क्षेत्र को — जनवरी से जून, 2025 की अवधि में संस्थान से 'ख' क्षेत्र को कुल 8 पत्र भेजे गए जो सभी हिन्दी में भेजे गए जिससे इस छमाही में हिन्दी/ द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत 100 हो गया। इस सम्बन्ध में राजभाषा विभाग के निर्धारित लक्ष्य को संस्थान द्वारा पूरा किया जा सका।

'ग' क्षेत्र को — इस बुलेटिन की संस्थान से 'ख' क्षेत्र को कुल 5 पत्र भेजे गये जो सभी हिन्दी में थे, जिससे इस छमाही में हिन्दी/ द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत 100 हो गया, जिससे संस्थान में राजभाषा विभाग के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया किया जाना सम्भव हो सका।

फाईलों/ दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियों का ब्यौरा

संस्थान में इस बुलेटिन की कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या 461 रही, जिनमें हिन्दी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या 358 तथा अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या 103 रही। जिससे संस्थान में राजभाषा विभाग के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया किया जाना सम्भव हो सका।

ई–ऑफिस फाईलों में लिखी गयी टिप्पणियाँ

संस्थान में ई–ऑफिस में कार्य करना मार्च, 2025 के अन्त में शुरू हुआ। इस बुलेटिन की छमाही अवधि जनवरी से जून, 2025 में से केवल अप्रैल से जून, 2025 तिमाही के दौरान ई–ऑफिस में कार्य करते हुए ई–ऑफिस फाईलों में कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या 108 पायी गयी। संस्थान की हिन्दी प्रकोष्ठ की सभी फाइलों में ई–ऑफिस में ही कार्य किया जा रहा है।

संस्थान के हिन्दी बुलेटिन का प्रकाशन

संस्थान में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रचार–प्रसार करने के लिए संस्थान की हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किए गए और संस्थान के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किए गए संस्थान के अर्द्धवार्षिक बुलेटिन के अंक–20, जुलाई–दिसम्बर, 2024 का

प्रकाशन किया गया। संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी में लाने के लिए उक्त हिन्दी बुलेटिन के 20वें अंक का वितरण किया गया तथा संस्थान के अनुमोदन से उक्त हिन्दी बुलेटिन के 20वें अंक को संस्थान की वैबसाईट पर अपलोड किया गया।

संस्थान में राजभाषा नियम 8 (4) के अंतर्गत आदेश जारी करना

संस्थान को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत दिनांक 29 नवम्बर, 1999 को अधिसूचित किया जा चुका है। राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 8 (4) के अनुसरण में संस्थान के समस्त अधिकारी/कर्मचारी जो हिन्दी भाषा में प्रवीणता प्राप्त हैं, उनके द्वारा अपना सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करना अनिवार्य है। इसलिए, संस्थान के महानिदेशक के अनुमोदन से संस्थान के समस्त हिन्दी भाषा में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिनांक 04 जून, 2025 को पुनः आदेश जारी किए गए थे कि वे अपना समस्त सरकारी कार्य मूल रूप से हिन्दी में करें। इसके बारे में, संस्थान के मंत्रालय नीति के हिन्दी अनुभाग को भी अवगत कराया गया।

संस्थान में राजभाषा नियमों के अनुपालन हेतु जाँच बिन्दुओं को अद्यतन करना

राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के प्रावधानों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संस्थान में दिनांक 28 अगस्त, 2024 से प्रभावी जाँच बिन्दुओं को वर्तमान स्थिति के अनुसार अद्यतन करके संस्थान में दिनांक 04 जून, 2025 से प्रभावी किया गया जिसे संस्थान के सभी सम्बन्धित अनुसंधान एकांशों, अनुभागों के अधिकारियों, पदाधिकारियों, प्रभारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी में लाया गया। इसके बारे में, संस्थान के मंत्रालय नीति के हिन्दी अनुभाग को भी अवगत कराया गया।

संस्थान में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन (मार्च व जून, 2025)

इस बुलेटिन की अवधि जनवरी से जून, 2025 छमाही के दौरान संस्थान में संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संस्थान में उनके द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों को हिन्दी भाषा में करने के लिए उनके हिन्दी भाषा के प्रति रूझान को बढाने के उद्देश्य से संस्थान में महत्वपूर्ण विषयों पर मार्च, 2025 और जून, 2025 को दो विभिन्न हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है–

(अ) मार्च, 2025 माह में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

इस बुलेटिन की अवधि जनवरी से जून, 2025 छमाही के दौरान संस्थान में पहली हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 24 मार्च, 2025 को किया गया, जो कि संस्थान की राजभाषा

हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट को तैयार करने में संस्थान के एकांशों एवं अनुभागों को महसूस होने वाली कठिनाईयों के समाधान के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग सम्बन्धी तिमाही प्रगति रिपोर्ट को भरने की तकनीक विषय पर इस हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस हिन्दी कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए श्रीमान् सूरज प्रकाश बडगूजर, परामर्शदाता (राजभाषा), हिन्दी अनुभाग, नीति आयोग, नई दिल्ली को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन एवं समापन तथा हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रम की मेजबानी हिन्दी प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक द्वारा की गयी।

राजभाषा विभाग को भेजी जाने वाली संस्थान की तिमाही प्रगति रिपोर्ट को तैयार करने से जुड़े संस्थान के अधिकारियों एंव कर्मचारियों, विशेषतः डॉ. रूबी धर, उप निदेशक; डॉ. डी. इन्द्र कुमार, उप निदेशक; डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक; श्री गौरव गिल, संयुक्त निदेशक (वित्त); श्री चन्द्र शेखर शर्मा, प्रणाली विश्लेषक; श्रीमती सुखविन्दर कौर, प्रलेखन सहायक; श्रीमति नीरू अरोडा, निजि सचिव; श्रीमति मीनाक्षी गुप्ता, आशुलिपिक; श्री देवेन्द्र पी. कोहाड, सहायक अनुभाग अधिकारी; श्री प्रीतम कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी; श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक अनुभाग अधिकारी; तथा श्री पूरन सिंह रावत, सहायक अनुभाग अधिकारी को इस हिन्दी कार्यशाला में भाग लेने के लिए नामित किया गया।

हिन्दी कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए हिन्दी प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक

व्याख्याता श्री सूरज प्रकाश बडगूजर हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रम के प्रतिभागियों को व्याख्यान देते हुए

मार्च, 2025 माह में आयोजित की गयी हिन्दी कार्यशाला की प्रबन्धन टीम, व्याख्याता एवं प्रतिभागीगण

(आ) जून, 2025 माह में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

संस्थान के कार्य निष्पादन में सूचना प्रद्यौगिकी के प्रयोग के बढ़ने से राजभाषा हिन्दी में कार्य करने में अनेकों प्रकार की कठिनांईयों से रूबरू होना पडता है, जैसे हिन्दी में टाइप कैसे होगा, हिन्दी टाईप करने में कौन से हिन्दी फोण्ट का प्रयोग होगा, हिन्दी अनुवाद केसे होगा.... आदि–आदि। संस्थान के कार्य निष्पादन में सूचना प्रद्यौगिकी के प्रयोग के बढ़ने से राजभाषा हिन्दी में कार्य करने में महसूस होने वाली अनेकों प्रकार की कठिनांईयों के समाधान के लिए "सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी : नई चुनोतियाँ और संभावनाएं" विषय पर इस बुलेटिन की अवधि जनवरी से जून, 2025 छमाही के दौरान संस्थान में दूसरी हिन्दी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23 जून, 2025 को किया गया।

हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रम के व्याख्याता श्री केवल कृष्ण का परिचय कराते हुए हिन्दी प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक

इस हिन्दी कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए विशेष रूप से भाषाई कंप्यूटरीकरण, तथा राजभाषा कार्यान्वयन में 32 वर्षों के अनुभवी, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, भारत सरकार से

सेवा–निवृत्त वैज्ञानिक–एफ (वरिष्ठ तकनीकी निदेशक), श्री केवल कृष्ण को आमंत्रित किया गया।

संस्थान के सभी निदेशको, सभी उप निदेशकों, सभी सहायक निदेशकों, तथा संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों को इस हिन्दी कार्यशाला में भाग लेने के लिए नामित किया गया। कुल मिलाकर संस्थान के 10 अधिकारियों एंव कर्मचारियों ने उक्त हिन्दी कार्यशाला में भाग लिया।

व्याख्याता श्री केवल कृष्ण हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रम के प्रतिभागियों को व्याख्यान देते हुए

जून, 2025 माह में आयोजित की गयी हिन्दी कार्यशाला की प्रबन्धन टीम, व्याख्याता एवं प्रतिभागीगण

नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग द्वारा आयोजित किए गए हिन्दी कार्यशाला/ चर्चा–परिचर्चा कार्यक्रमों में सहभागिता

संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संस्थान में उनके द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों को हिन्दी भाषा में करने के लिए उनके हिन्दी भाषा के प्रति रूझान को बढ़ाने के उद्देश्य से संस्थान के मंत्रालय (नीति आयोग) के हिन्दी अनुभाग द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न हिन्दी कार्यशालाओं/ चर्चा–परिचर्चा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संस्थान में उनके द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों को हिन्दी भाषा में करने के

लिए उनके हिन्दी भाषा के प्रति रूझान को बढ़ाने के उद्देश्य से संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्नलिखित विवरण के अनुसार नामित किया गया–

क) दिनांक 19 फरवरी, 2025 को आयोजित किए गए चर्चा–परिचर्चा कार्यक्रम में हिन्दी प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक तथा श्री देवेन्द्र कोहाड़, सहायक अनुभाग अधिकारी को नामित किया गया।

(ख) दिनांक 09 अप्रैल, 2025 को आयोजित किए गए चर्चा–परिचर्चा कार्यक्रम श्री मार्शल बिरूवा, सहायक निदेशक एवं श्री तेजपाल सिंह, सहायक अनुभाग अधिकारी को नामित किया गया।

राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में सहभागिता

भारत सरकार में राजभाषा विभाग की स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 26 जून 2025 को आयोजित किए गए राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में संस्थान की ओर से (1) डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ), (2) श्रीमति सुखविन्दर कौर, प्रलेखन सहायक, (3) श्री तेजपाल सिंह, सहायक अनुभाग अधिकारी, एवं (4) श्री देवेन्द्र कोहाड़, सहायक अनुभाग अधिकारी ने सहभागिता की।

भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किए गए राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ); श्री देवेन्द्र कोहाड़, सहायक अनुभाग अधिकारी; एवं श्रीमति सुखविन्दर कौर, प्रलेखन सहायक

संस्थान की राजभाषाई गतिविधियों का निरीक्षण

नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग के तीन सदस्यीय दल द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को संस्थान के अनुभागों में निष्पादित की जा रही राजभाषाई गतिविधियों का निरीक्षण किया गया। नीति आयोग के उक्त निरीक्षण दल ने संस्थान के सभी अनुभागों में राजभाषाई गतिविधियों का पूर्णरूपेण निरीक्षण किया। उक्त निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट पर सस्थान के अनुभागों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

संस्थान की राजभाषाई गतिविधियों के निरीक्षण के दौरान डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ), नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग की निरीक्षण टीम के सदस्य, तथा श्री देवेन्द्र कोहाड़, सहायक अनुभाग अधिकारी

नराकास की बैठक

नियमानुसार संस्थान की मार्च, 2025 को समाप्त छमाही की राजभाषा हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट को निर्धारित प्रोफार्मा में नराकास को उपलब्ध करायी गयी। राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार गठित नराकास की बैठक महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, मुख्य कार्यालय/ अध्यक्ष, नराकास दक्षिण दिल्ली–2 की अध्यक्षता में दिनांक 21–06–2025 को अपराह्न 4.00 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गयी।

विभागीय/ संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक का आयोजन

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 23 जून, 2025 को संस्थान के महानिदेशक एवं संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उक्त बैठक की अध्यक्षता समिति के सदस्य–सचिव डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक, एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ) द्वारा की गयी। इस बैठक में राजभाषा विशेषज्ञ के रूप में श्री सूरज प्रकाश बडगूजर, परामर्शदाता (राजभाषा), हिन्दी अनुभाग, नीति आयोग, नई दिल्ली

को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिन्होनें अपने राजभाषाई ज्ञान से संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों को लाभान्वित कराया।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 23 जून, 2025 की बैठक के प्रतिभागीगण

उक्त बैठक में विचारार्थ कुछ विषय एवं उन विषयों पर लिए गए निर्णय इस प्रकार रहे–

1 संस्थान में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले आदेशों, परिपत्रों, आदि को मूल रूप में हिन्दी में जारी किया जाए और अंग्रेजी अनुवाद साथ में जारी किया जाए, इस विषय पर यह निर्णय लिया गया कि ऐसा प्रयास किया जाए कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले आदेशों, परिपत्रों, आदि को मूल रूप में हिन्दी में तैयार किया जाए और अंग्रेजी अनुवाद के साथ जारी किया जाए। राजभाषा नियमानुसार संस्थान का केवल वही अधिकारी/ कर्मचारी हिन्दी अनुवाद की मांग कर सकता है जिसे हिन्दी ज्ञान में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले आदेशों, परिपत्रों, आदि पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गयी।

2 संस्थान में 85 प्रतिशत से ज्यादा अधिकार एवं कर्मचारी हिन्दी भाषी हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, इस मामले पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2025–2026 के अनुसार संस्थान में राजभाषाई गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए– (क) संस्थान में कार्यरत हिन्दी भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए, (ख) संस्थान में हिन्दी में मूल पत्राचार और हिन्दी में टिप्पण लेखन के राजभाषाई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासों को बनाए रखने का निर्णय लिया गया।

3 संस्थान के समस्त अनुसंधान एकांशों एवं अनुभागों में हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती की जा सकती है, वाले मुद्दे पर विचार करने के

बाद यह निर्णय लिया गया कि ऐसा प्रयास किया जाए कि संस्थान के समस्त अनुसंधान एकांशों एवं अनुभागों में ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात किए जाएं जो राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2025–2026 के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करें।

4 संस्थान के हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को संस्थान द्वारा नामित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग के केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान से उक्त प्रशिक्षण से सम्बन्धित आवश्यक आदेश जारी होने की स्थिति में संस्थान के शेष कर्मचारियों को प्राईवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में नामित किया जाऐगा।

5 संस्थान के हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को संस्थान द्वारा नामित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग के केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान से उक्त प्रशिक्षण से सम्बन्धित आवश्यक आदेश जारी होने की स्थिति में संस्थान के शेष कर्मचारियों को प्राईवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में नामित किया जाऐगा।

6 संस्थान के मंत्रालय नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग की टीम द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को किए गए संस्थान के राजभाषाई निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट में संस्थान के लेखा अनुभाग में फाइल संचालन रजिस्टर में प्रविष्टियां अंग्रेजी में पाए जाने पर तय किया गया कि चूंकि लेखा अनुभाग में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं, अतः लेखा अनुभाग में फाइल संचालन रजिस्टर में प्रविष्टियां हिन्दी में ही की जाऐंगी।

7 संस्थान के मंत्रालय नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग की टीम द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को किए गए संस्थान के राजभाषाई निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट में संस्थान के आरटीआई अनुभाग में फाइल संचालन रजिस्टर में प्रविष्टियां अंग्रेजी में पाए जाने पर तय किया गया कि चूंकि आरटीआई अनुभाग में कार्यरत अधिकारियों को हिन्दी का ज्ञान है, अतः आरटीआई अनुभाग में फाइल संचालन रजिस्टर में प्रविष्टियां हिन्दी में ही की जाऐंगी।

8 संस्थान के मंत्रालय नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग की टीम द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को किए गए संस्थान के राजभाषाई निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट में संस्थान के सम्पदा अनुभाग में फाइल संचालन रजिस्टर में प्रविष्टियां अंग्रेजी में पाए जाने पर तय किया गया कि चूंकि सम्पदा अनुभाग में कार्यरत अधिकतर अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं, अतः सम्पदा अनुभाग में फाइल संचालन रजिस्टर में प्रविष्टियां हिन्दी में ही की जाऐंगी।

9 संस्थान के मंत्रालय नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग की टीम द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को किए गए संस्थान के राजभाषाई निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट में संस्थान के प्रेषण

अनुभाग में पावती रजिस्टर में प्रविष्टियां अंग्रेजी में पाए जाने पर तय किया गया कि चूंकि प्रेषण अनुभाग से सम्बंधित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं, अतः प्रेषण अनुभाग में पावती रजिस्टर में प्रविष्टियां हिन्दी में ही की जाऐंगी।

10 संस्थान के मंत्रालय नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग की टीम द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को किए गए संस्थान के राजभाषाई निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट में संस्थान के सामान्य अनुभाग में फाइल संचालन रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किए जाने पर तय किया गया कि सामान्य अनुभाग में निर्धारित प्रारूप के अनुसार फाइल संचालन रजिस्टर का रख–रखाव किया जाऐगा।

11 संस्थान के मंत्रालय नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग की टीम द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को किए गए संस्थान के राजभाषाई निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट में संस्थान के प्रशासन अनुभाग में वेतन स्तर 10 और ऊपर के अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां अंग्रेजी में पाए जाने पर तय किया गया कि प्रशासन अनुभाग में वेतन स्तर 10 और ऊपर के अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में ही की जाऐंगी।

12 संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसार संस्थान के हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान वैबसाईट पर उपलब्ध उक्त प्रशिक्षण से सम्बन्धित परिपत्र दिनांक 09/05/2025 के अनुसार संस्थान के शेष कर्मचारियों को हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के लिए प्राईवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में नामित करने की कार्रवाई से सम्बन्धित फाईल पर संस्थान के महानिदेशक महोदय के सुझाव ''उक्त भाषा प्रशिक्षण के लिए नामित करने से पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी से उसकी सहमति प्राप्त की जाए'' के बारे में तय किया गया कि (क) हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के लिए प्राईवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में नामित करने से कार्यालय के नियमित कार्य को कोई क्षति नहीं होगी; (ख) हिन्दीतर भाषा वाले सभी कर्मचारियों के लिए हिन्दी भाषा प्रशिक्षण अनिवार्य है, अतः हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के लिए कोई कर्मचारी मना नहीं कर सकता है; तथा (ग) नामित करने से पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी से किसी प्रकार की सहमति लेना राजभाषा नियम विरूद्ध होता है।

संस्थान की हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा जारी किए जाने वाले इस अर्द्ध वार्षिक हिन्दी बुलेटिन में अपने स्वःलिखित ज्ञानवर्धक लेख, स्वःरचित कविताएं, आदि, छपवाने के लिए संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह अनुरोध किया जाता है कि वह अपने स्वःलिखित ज्ञानवर्धक लेख, स्वःरचित कविताएं, आदि, को हिन्दी के कृतिदेव–10 फोण्ट में टाईप करके हिन्दी प्रकोष्ठ में भिजवा सकते हैं।